



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 अग्रहायण 1943 (श0)
(सं0 पटना 1005) पटना, बुधवार, 15 दिसम्बर 2021

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

कार्यालय आदेश
3 दिसम्बर 2021

सं० 2/ई3-64/2019 श्र०सं० 71—दिनांक 12.07.2021 को जिला पदाधिकारी, सिवान की अध्यक्षता में आहूत जिला अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-728 दिनांक 12.07.2021 द्वारा स्व० संजय प्रसाद, भूतपूर्व अनुसेवक, श्रम अधीक्षक कार्यालय, सिवान के आश्रित पुत्र-श्री शेखर कुमार की वर्ग-04 के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है।

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, सिवान द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय में श्री शेखर कुमार को वर्ग-04 (कार्यालय परिचारी) के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान 18,000-56,900/- में (लेवल-1 मूल वेतन रू० 18,000/-) में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए श्रम अधीक्षक कार्यालय, मोतिहारी में पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री शेखर कुमार की जन्म तिथि-02.07.2001 है।
3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
4. श्री शेखर कुमार को इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मृत सरकारी सेवक के परिवार (आश्रितों) के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व उनका होगा तथा उनके इस उत्तरदायित्व की अवहेलना को गंभीर कदाचार माना जायेगा, जिसके लिए उनसे नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कारण-पृच्छा प्राप्त कर उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

5. श्री शेखर कुमार को इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मृत सरकारी सेवक के आश्रित सरकारी सेवा या गैर सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है।
6. श्री शेखर कुमार को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
8. श्री शेखर कुमार द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन लंबित नहीं है, जिसमें उन्हें मृत्यु दण्ड या 07 वर्षों से अधिक अवधि का कारावास की सजा होने की संभावना है।
9. श्री शेखर कुमार को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पत्ति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।
10. श्री शेखर कुमार को विवाह में तिलक-दहेज न लेने और न देने का भी शपथ-पत्र देना होगा।
11. श्री शेखर कुमार पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक 17 नवम्बर, 2005, संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768, दिनांक 03.07.2007) प्रभावी/लागू होगा।
12. श्री शेखर कुमार आदेश निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर निश्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय में योगदान करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द किया जा सकता है।
13. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082 दिनांक 01 अप्रैल, 2003 के प्रावधानों के तहत प्रशासनिक कार्यहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।

आदेश से,
रंजिता,
श्रमायुक्त।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1005-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>